मुहम्मद अकरम अन्सारी

बनाम

मुख्य चुनाव अधिकारी और अन्य

4 दिसंबर, 2007

[न्यायमूर्ति ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू]

चुनाव कानूनः

दिल्ली वक्फ अधिनियम, 1995 - धारा 31-ए (2006 में संशोधित)- एन. सी. टी., दिल्ली विधानसभा की सदस्यता की अयोग्यता की रोकथाम - भूत लक्षी प्रभाव - निर्णीत किया गया : प्रावधान में शब्द " कभी भी अयोग्य नहीं समझा जाएगा" स्पष्ट करते है कि यह भूतलक्षी प्रभाव रखते है - इसलिए चाहे निर्वाचित प्रतिनिधि को 2003 में दिल्ली वकफ बोर्ड के चेयरमैन पद से अयोग्य कर दिया हो फिर भी उसे धारा 31-ए (जिसे 2006 में जोड़ा गया) के परिपेक्ष में अयोग्य किया हुआ नहीं समझा जाएगा

भावनगर विश्वविद्यालय बनाम. पालिताना शुगर मिल (पी) लिमिटेड, [2003] 2 एस. सी. सी. 111 और राजा शत्रुंजीत (मृत) जरिए विधिक प्रतिनिधि बनाम. मोहम्मद आज़मा आज़िम खान और अन्य ए. आई. आर. (1971) एस. सी. 1474 पर निर्भर किया गया।

ईस्ट एंड ड्वेलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल, [1951] 2 ऑल ई. आर. 587, संदर्भित।

अभिनिर्धारित किया गया : कानून में एक धारणा है कि एक न्यायाधीश उन सभी बिंदुओं पर विचार करता है जो उसके सामने रखे गए है! - यदि एक बिंदु का निर्णय में इसका उल्लेख नहीं है, तो यह धारणा है कि इसे कभी न्यायाधीश के सामने रखा नहीं गया और छोड़ दिया गया था-हालाँकि यह धारणा खंडन योग्य है! - यह संबंधित पक्ष के लिए यह विकल्प खुला है कि

वह उसी न्यायाधीश या पीठ जिसने निर्णय दिया के सामने आवेदन दायर करे, और, न्यायलय संतुष्ट होने पर, उचित आदेश यहां तक कि पुनर्विलोकन का आदेश भी पारित करने कर सकता है और आम तौर पर संबंधित पक्ष के लिए यह विकल्प खुला नहीं की वह अपील दायर करे और उस बिंदु पर बहस करे जिसे याचिका या ज्ञापन में लिए जाने पर भी निर्णय के समय उस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया गया गया था!-तथ्यों पर - अवधारणा को देखते हुए, बिंदुओं उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाने अनुमति नहीं है !

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील सं. 4981/2006 .

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के ई.पी. संख्या 2/2004 में निर्णय/आदेश दिनांक 22.8.2006 से।

के साथ

सी. ए. सं. 5828/2006

अपीलार्थी की ओर से एल. सी. गोयल।

मोहम्मद. अकरम अंसारी, अपीलार्थी व्यक्तिगत उपस्थित (सी. ए. संख्या 5828 में)

मीनाक्षी अरोड़ा, बलराज दीवान, जफर सादिक, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद साजिद -प्रत्यर्थी गण की ओर से।

नावेद यार खान प्रत्यर्थी संख्या 6 व्यक्तिगत उपस्थित।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

आदेश

1. सीए संख्या 5828/2006 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित अपीलकर्ता सहित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। सीए संख्या 5828/2006 में अपीलकर्ता सीए संख्या 4981/2006 में प्रतिवादी संख्या 6 भी है।

2. सीए संख्या 4981/2006 चुनाव याचिका संख्या 2/2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 22.8.2006 के खिलाफ निर्देशित है। सीए संख्या 5828/2006 चुनाव याचिका संख्या 3/2004 में उच्च न्यायालय के उसी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 22.8.2006 के खिलाफ निर्देशित है। सीए संख्या 5828/2006 में अपीलकर्ता (जो चुनाव याचिका संख्या 3/2004 में याचिकाकर्ता था) ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा है कि 2004 की चुनाव याचिका संख्या 2 और 3 लगभग समान थीं और इसलिए चुनाव याचिका क्रमांक 3/2004 में कोई साक्ष्य लेखबद्ध नहीं किया गया था।

3. मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता ने 2003 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। प्रतिवादी हारून यूसुफ को निर्वाचित घोषित किया गया। चुनाव के समय हारून युसूफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी थे।

4. इन दोनों अपीलों में शामिल प्रश्न यह है कि क्या वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों का पद लाभ का पद है, जिससे किसी व्यक्ति को एनसीटी दिल्ली की विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने से अयोग्य ठहराया जा सके। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि 1995 अधिनियम में धारा 31 ए डालकर वक्फ (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का दिल्ली अधिनियम 3) के माध्यम से वक्फ अधिनियम, 1995 में एक संशोधन लाया गया है। वक्फ (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 31ए इस प्रकार है:-

> "31ए. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की सदस्यता के लिए अयोग्यता की रोकथाम :- इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए गठित बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों के पद अयोग्य नहीं होंगे

और यह माना जाएगा कि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए कभी भी अयोग्य नहीं ठहराया गया है।"

5. अपीलकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत किया कि उपरोक्त धारा 31ए 2006 में ही लागू हुई, जबकि चुनाव 2003 में हुआ था, और चुनाव याचिका 13.1.2004 को दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि धारा 31ए का भूत लक्षी प्रभाव नहीं है और इसलिए 2006 से पहले हुए चुनावों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम सहमत नहीं हैं।

6. यह सच है कि संशोधन अधिनियम 2006 में विशेष रूप से यह नहीं कहा गया है कि इसका भूत लक्षी प्रभाव है। हालाँकि, उपरोक्त प्रावधान में 'और कभी भी अयोग्य नहीं माना जाएगा' शब्दों का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि यह भूत लक्षी प्रभाव रखता है !

7. धारा 31ए में शब्द "और कभी भी अयोग्य नहीं माना जाएगा" एक कानूनी कल्पना रचता है। कानून के क्षेत्र में कानूनी कल्पना प्रसिद्ध हैं। ईस्ट एंड डवेलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल, (1951) 2 ऑल ईआर 587 में लॉर्ड एस्क्विथ के द्वारा उद्धृत अंश में यह देखा गया था:

यदि आपको मामलों की एक काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए बाध्य किया जाता है, तो आपको निश्चित रूप से,जब तक कि ऐसा करने से प्रतिबंधित न किया गया हो, वास्तविक परिणाम और घटनाओं की भी कल्पना करनी चाहिए, यदि मामलों की अनुमानित स्थिति वास्तव में अस्तित्व में थी, तो अनिवार्य रूप से उत्पन्न हुई होगी या इसके साथ-- क़ानून कहता है कि आपको मामलों की एक निश्चित स्थिति की कल्पना करनी चाहिए; इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा करने के बाद, जब उस स्थिति के अपरिहार्य परिणामों की बात आती है तो आपको अपनी कल्पना को भ्रमित करना चाहिए या इसकी अनुमति देनी चाहिए।

8. उपरोक्त अवलोकन को हमारे अपने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला में अनुमोदित और पालन किया गया है, जैसे कि भावनगर विश्वविद्यालय बनाम पालिताना शुगर मिल (पी) लिमिटेड 2003(2) एससीसी 111 (पैरा 33), राजा शत्रुंजित (मृत) जरिए एल.आर बनाम मोहम्मद अजमत अजीम खान और अन्य एआईआर 1971 एससी 1474 आदि।

9. इसलिए, भले ही निर्वाचित उम्मीदवार को वर्ष 2003 में अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, उसे वर्ष 2006 में जोड़ी गई धारा 31-ए के मद्देनजर अयोग्य नहीं माना जाएगा।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए इस प्रश्न कि जांच करना आवश्यक नहीं है कि क्या धारा 31ए के तहत वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद को लाभ का पद कहा जा सकता है। धारा 31ए के शामिल होने के बाद उपरोक्त प्रश्न अब अकादमिक हो गया है ।

11. अपीलकर्ता ने तब प्रस्तुत किया कि इस बिंदु के अलावा कि निर्वाचित उम्मीदवार हारून यूसुफ लाभ का पद धारण कर रहा था, अपीलकर्ता ने चुनाव याचिका में बड़ी संख्या में अन्य बिंदु भी उठाए थे, जिसमें हारून यूसुफ द्वारा भ्रष्ट आचरण का आरोप भी शामिल था। लेकिन इनका निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका में उल्लिखित सभी बिंदुओं पर विचार करना चाहिए था।

12. हमने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और हमने पाया है कि उसमें चर्चा का एकमात्र बिंदु यह है कि क्या हारूफ यूसुफ चुनाव लडने से अयोग्य था क्योंकि वह लाभ का पद धारण कर रहा था। उपरोक्त निर्णय में किसी अन्य बिन्दु पर चर्चा नहीं की गयी है।

13. अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने अपनी चुनाव याचिका में बड़ी संख्या में बिंदु उठाए थे, लेकिन आक्षेपित निर्णय में उन पर चर्चा नहीं की गई है।

14. इस संबंध में हम कहना चाहेंगे कि कानून में एक धारणा है कि एक न्यायाधीश उन सभी बिंदुओं पर विचार करता है जो उसके समक्ष रखे गए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी याचिका या अपील में उस याचिका या अपील के ज्ञापन में कई बिंदु लिए जाते हैं, लेकिन बहस के समय इनमें से कुछ बिंदु ही रखे जाते हैं। स्वाभाविक रूप से एक न्यायाधीश केवल उन्हीं बिंदुओं पर विचार करेगा जो उसके सामने बाहर के समय में रखे गए हैं और यह माना जाएगा कि अपीलकर्ता ने अन्य बिंदुओं को छोड़ दिया है, अन्यथा वह उन बिंदुओं को भी रखता । यदि किसी न्यायालय के फैसले में किसी बिंदु का उल्लेख नहीं किया गया हैए तो यह माना जाता है कि उस बिंदु को विद्वान न्यायाधीश के समक्ष कभी नहीं रखा गया था और उसे छोड़ दिया गया था। हालाँकि, यह एक खण्डन योग्य अवधारणा है। यदि याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसने उस बिंदु को भी उठाया था (जिस पर आक्षेपित निर्णय में चर्चा नहीं की गई है), तो उसके लिए यह खुला है कि वह उसी विद्वान न्यायाधीश (या पीठ) के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है जिसने आक्षेपित निर्णय सुनाया था, और यदि वह न्यायाधीश (या बेंच) को संतुष्ट करता है कि अन्य बिंदु भी वास्तव में उठाए गए थे, लेकिन आक्षेपित फैसले में निपटाए नहीं गए थे, तो यह संबंधित न्यायालय के लिए अपने आदेश के पुनर्विलोकन का आदेश पारित करने सहित उचित आदेश पारित करने का विकल्प भी खुला है। हालाँकि, यह आम तौर पर पार्टी के लिए अपील दायर करने और किसी ऐसे बिंदु पर पर बहस करने का विकल्प खुला नहीं है, जिसे भले ही अधीनस्थ अदालत के समक्ष दायर याचिका या ज्ञापन में लिया गया हो, लेकिन अधीनस्थ अदालत

के फैसले में उस पर विचार नहीं किया गया है। जिस पक्ष को यह शिकायत है उसे उसी न्यायालय से संपर्क करना चाहिए जिसने निर्णय सुनाया था।

15. चूंकि उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में लाभ के पद के अलावा किसी अन्य बिंदु पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए अवधारणा यह है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अन्य बिंदु नहीं रखा गया था, भले ही वह बिंदु चुनाव याचिका में शामिल हो।. इसलिए हम इन बिंदुओं को यहां उठाने की अनुमति नहीं देते हैं।

16. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अपीलें बिना किसी खर्च (कॉस्ट) पर खारिज की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी पंकज (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।